IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय अवक्रमण का अध्ययन

डॉ० जयश्री सिंह

एम० ए०, पीएच० डी०,

राजनीति विज्ञान विभाग,

बी० आर० ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

वित्त, प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। यह उसका जीवनाधार या जीवन–रक्त है। प्रशासन और वित्त शरीर और उसकी छाया की भांति जुड़े हुए हैं। वस्तुतः प्रशासकीय इंजन का ईंधन वित्त है। पहले का परिचालन दूसरे के अभाव में असंभव है। वित्त एक साधन भी है और साध्य भी। साधन के रूप में यह सभी साधनों से अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। साध्य के रूप में हर सफलता को वित्त के ही मापदंड पर देखा जा रहा है। पंचायत राज में वित्त साधन एवं साध्य दोनों रूपों में गौंण है और यही वह कड़ी है जिसे हम जितना महबूत बनायेंगे पंचायत राज संस्था उतनी ही सफल एवं प्रभावकारी बनती जायेगी। सरकार इस ओर सतत प्रयत्नशील है।

सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के अभाव में कोई प्रशासन अपना कोई कार्य कुशलतापूवक नहीं कर सकता। प्रशासन की सफलता और असफलता उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। प्रशासन का कोई भी कार्य धन के अभाव में नहीं हो सकता। चाहे वह कर्मचारियों को वेतन देने का मामला हो या कोई लोक कल्याणकारी योजनाओं के श्रीगणेश का मामला हो। प्रशासन और अर्थ वास्तव में दो शरीर और एक प्राण है। प्रशासन यदि शरीर है तो अर्थ उसका प्राण है। बिना प्राण के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार अर्थ के अभाव में प्रशासन निष्प्राणित होता है। प्रशासन के अर्थ रूपी रक्त नख से लेकर शिख तक एक निश्चित गति और समय में निरन्तर प्रवाहित होता रहता है। जहां कहीं किसी अंग में इसके प्रवाह पर अवरोध आता है, वह अंग शिथिल हो जाता है और अपना कार्य समुचित रूप से नहीं कर पाता।

वित्त दो तरह हो सकता है, किसी स्रोत से एकमुश्त सहायता प्राप्त करने से और पानी बुद्धि–विवेक और श्रम से उगाही करके। इन दोनों में दूसरा विकल्प अधिक श्रेयस्कर होता है, क्योंकि इस तरह वित्त की कीमत, श्रम का संबल और बुद्धि विवेक की महत्ता, सबकुछ प्रतिष्ठापित होता है। इससे कर्मठता जगती है और समाजिक स्तर पर स्थानीय सहयोग व सम्मान मिलता है। पंचायतों के लिए इसीलिए काम से जोड़कर वित्त उपलब्ध कराने का प्रावधान है और साथ ही अपनी बुद्धि, विवेक और श्रम के सहारे धन उगाहने का मौका भी दिया गया है।

73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं के कोष–निर्माण व उसमें होने वाली आय के लिए संस्थाओं के द्वारा लगाने वाले करों के सम्बन्ध में कहा गया है कि राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया और मर्यादाओं के अन्तर्गत पंचायती राज की विभिन्न संस्थाओं को कर आरोपित करने और एकत्रित करने लिए अधिकृत कर सकते हैं। इसी प्रकार राज्य का विधान मण्ड़ल इन संस्थाओं को राज्य की संचित निधि से अनुदान देने के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है कि जो कर राज्य सरकार व पंचायती राज इकाइयों के मध्य वितरण किया जा सकता है जो कर पंचायती राज संस्थाएं आरोपित करेगी उन्हें वह ना केवल एकत्रित कर सकेंगे बल्कि उनका व्यय अपने स्तर पर कर सकेंगे।

1. ग्राम पंचायत की विकासात्मक भूमिकाएं एवं कार्य

सामाजिक–आर्थिक विकास सामाजिक पूंजी से शुरू होकर उद्योगों के विकास तक पहुँचता है। यह सामाजिक पूंजी सबसे पहले एकजुटता के रूप में प्रकट होती है। अर्थात् जिस समाज में एकता और एकजुटता नहीं है, कलह और वैमनस्य है, वहाँ विकास का काम बहुत कठिन है। पंचायत राज, विशेषकर ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के लिए जितने भी प्रावधान हैं वे सभी इसी एकजुटता के माध्यम से सामाजिक पूंजी को बनाने और बढ़ाने की बात करते हैं। इसीलिए अगर हम यह कहें कि किसी भी समाज के सामाजिक–आर्थिक विकास में ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी।

इस प्राथमिक आधार के अलावा जिस मूलभूत संरचना की आवश्यकता सामाजिक–आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में पड़ती है वह भी पंचायत है कि विकास के लिए आधार की ही नहीं वरन् सहायक तत्वों की भी व्यवस्था पंचायत के माध्यम से ही होती है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 के अंतर्गत दिए 'ग्राम पंचायत के कार्य में जो काम सबसे पहले वह है, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना' तीसरे स्थान पर 'पशुपालन, डेयरी उद्योग एवं कूक्कट पालन, चौथे पर मत्स्य पालन, छठे पर है, खादी, ग्राम, कुटीर उद्योग, नौवें पर है 'सड़क, भवन, पुलिया निर्माण, जल मार्ग एवं संचार संसाधन। धारा 25 के अंतर्गत दिए ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों में दूसरी समिति है, 'उत्पादन समिति' जिसका कार्य क्षेत्र है, कृषि, पशुपालन, डेयरी, कुक्कट पालन, मत्स्य पालन, वानिकी संबंधी प्रक्षेत्र, खादी ग्राम या कुटीर उद्योग एवं गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यों को करने के लिए। पंचायत समिति एवं जिला परिषद के स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा किए गये इन्हीं कार्यों के 'प्रोत्साहन' अनुरक्षण एवं निष्पादन करने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत के आय के स्रोत

- भू–राजस्व की धनराशि के अनुसार 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक पंचायत कर।
- प्रान्तीय सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुदान।
- मनोरंजन कर।
- गाँव के मेले, बाजारों आदि पर कर।
- पशुओं तथा वाहनों आदि पर कर।
- मछली तालाब से प्राप्त आय।
- नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए कर।
- कूड़ा–करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय।
- चूल्हा कर।
- व्यापार तथा रोजगार कर।
- सम्पत्ति के क्रय–विक्रय पर कर।
- पशुओं का रजिस्ट्रेशन फीस।
- दुग्ध उत्पादन कर आदि।

ग्राम पंचायत के कर्मचारी

- पंचायत सचिव – पंचायत के सहायतार्थ नियुक्त किया जाता है।
- ग्राम सेवक (ग्राम विकास अधिकारी) – विकास के लिए पंचायतों का परामर्शदाता तथा नीतियों को लागू करने में सहायक।
- चौकीदार – न्याय तथा शान्ति व्यवस्था के लिए पंचायत का सहायक

ग्राम पंचायत निधिकोष

प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम कोष होता है। ग्राम पंचायत के वार्षिक आय–व्यय का लेखा–जोखा एवं अनुमान की सीमा के अन्दर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत या उसके किसी समिति के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए धन खर्च किया जाता है। सम्बन्धित खातों का संचालन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।

2. बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में पंचायतों को सम्पत्ति अर्जित करने के नियम

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में पंचायतों को सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उसका निबटान भी करने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें अपने नाम से एक निधि भी गठित करने का अधिकार है जिसमें वर्णित स्रोतों से प्राप्त राशि ही जमा की जा सकेगी।

ग्राम पंचायत

धारा : 26.1 – ग्राम पंचायत को सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटान तथा संविदा करने की शक्ति होती है परन्तु यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अचल संपत्ति के निपटान के सभी मामलों में उसे सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होती है।

धारा : 26.2 – केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य ग्राम पंचायत की संपत्ति या उनके द्वारा अनुरक्षित सम्पत्ति को छोड़कर इस धारा में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, इस प्रकार की सभी संपत्ति, ग्राम पंचायत में निहित हो जाती है।

धारा : 26.5 – प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के नाम से एक ग्राम पंचायत निधि गठित की जाती है और उसमें निम्नांकित जमा किये जाते हैं :–

(क) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान, यदि कोई हो।

(ख) जिला परिषद्, पंचायत समिति या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान, यदि कोई हो।

(ग) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया ऋण, यदि कोई हो।

(घ) अपने द्वारा कर, और फीस के मद में वसूली की गयी सभी प्राप्तियाँ।

(ड.) ग्राम पंचायत के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रखे गये या इसके द्वारा निर्मित तथा इसमें निहित किसी भी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्था अथवा निर्माणों से संबंधित सभी प्राप्तियाँ।

(च) ग्राम पंचायत के पक्ष में किसी न्यास अथवा धर्मस्व से होने वाली समस्त आय और दान एवं अंशदान के रूप में प्राप्त की गई सारी राशियाँ।

(छ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन लगाए गये और वसूल किये गये यथा विनिद्रिष्ट जुर्माने एवं शक्तियाँ, और

(ज) ग्राम पंचायत द्वारा यह उसकी ओर से प्राप्त की जाने वाली अन्य राशियाँ।

परिषद् के लिए धारा 80 एवं धारा 81 में लगभग इसी तरह के सम्पत्ति अर्जन एवं निधि गठन के प्रावधान दिये गए हैं।

धनोपार्जन के लिए ग्राम पंचायतों के लिए धारा 27 में करारोपण तथा धारा 28 में वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है जो पूर्णतया निर्मित विधि एवं सरकार द्वारा निर्दिष्ट आदेशों के अधीन है।

इसी प्रकार पंचायत समिति के लिए धारा 55 एवं धारा 56 पर कराधन तथा ऋण और निपेक्ष निधि का प्रावधान किया गया है। इनमें भी यथाविहित नियमों तथा सरकार द्वारा विहित आदेशों के आधार पर ही धन उगाही की जा सकती है। जिला परिषद् के लिए भी धारा 82 तथा धारा 83 पर करारोपण तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के विषय में चर्चा की गई है। यहाँ भी सरकार द्वारा यथाविहित तथा सरकार की पूर्व मंजूरी की बात कही गई है। विधिसम्मत वित्त संग्रहण के लिए तत्संबंधी अधिसूचना अपेक्षित है। दर, रेट एवं शुल्क निर्धारण से पंचायत राज में विशेषकर ग्राम पंचायतों में वित्त संग्रह के सम्बन्ध में प्रगति संभव हो सकती है।

वित्त के सन्दर्भ में पंचायतों की स्थिति सुधारने के उपाय

कुल मिलाकर वित्त के सन्दर्भ में पंचायतों में स्थिति में बदलाव लाने की जरूरत है। यह बदलाव नीचे के उपायों से संभव हो सकता है :

1. दूसरे राज्यों में किए गए उपायों के आधार पर और अधिक उदार होकर।
2. अनेक समितियों एवं अध्ययनों में सुझाए गये और तरीकों को आजमा कर।
3. पंचायत राज वित्त निगम को सुदृढ़ कर और इसे उचित वित्तीय आधार एवं शक्ति देकर।
4. कुछ ग्राम पंचायतों में अपनी सोच के आधार पर प्रयोग करके अधिनियम की धारा 28 के तहत।
5. बिहार वित्त आयोग को सक्रिय कर और उसकी अनुशंसा उपलब्ध कर।
6. राज्य की संचित निधि में सहाय अनुदान देकर।
7. भूमि राजस्व संग्रहण का कम से कम 40 प्रतिशत अंश देकर।

पंचायतों के विकास के लिए पैसे का स्रोत

यह निर्विवाद तथ्य है न कि स्वतंत्र संसाधनों के बिना पंचायतें पर्याप्त कार्यात्मक स्वायत्तता हासिल नहीं कर सकी और इस ओर सतत प्रयत्नशील रहना सरकार का कर्त्तव्य भी है और दायित्व भी। इस संदर्भ में सबसे अधिक आवश्यक यह है कि पंचायतों को धन उगाही करने का पूरा मौका मिले। केवल करों या शुल्कों के माध्यम से नहीं, विकासात्मक कार्य के द्वारा भी। इसके कई आयाम हैं, जिनपर मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि वे जरूरी भी हैं और जन हितकारी भी। उनमें से एक हैं पंचायतों को, विशेषकर ग्राम पंचायतों को एक–एक उद्यमी संस्था के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। स्थानीय विकास के लिए उप–विधि बनाकर सुनियोजित ढंग से विकास कार्य करने दिया जाए। ऐसा करना एक प्रयोग के तौर पर होना जिसके कुछ सहायक स्रोत और कुछ नियंत्रण स्रोतों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस प्रयोग के अतिरिक्त भी कई उपाय हैं पर वे सभी 'हिस्सा–बटईया' वाली स्थिति पैदा करते हैं जिसमें देनेवाला 'शिकार' तथा वसूलने वाला 'शिकारी' की तरह नजर आता है। वास्तव में, हर तन्त्र की पहचान धन उगाही के तरीकों से बनती है। यह सोचनीय है कि हमारा गणतंत्र कब तक लगभग राजतन्त्र के इन धनउगाही के साधनों को प्रश्रय देता रहेगा। कायदे से, धनउगाही के सभी स्रोत जमीनी स्तर की लोक संस्थाओं जैसे पंचायतों से जुड़े होने चाहिए। इस तरह की व्वस्था का सबसे बड़ा लाभ है व्यक्ति के समाज के प्रति दायित्व एवं समाज का व्यक्ति के प्रति झुकाव।

पंचायतों को वित्तीय–स्तर पर सशक्त करने के उपाय

पंचायतों के वित्तीय–स्तर पर सशक्त करने के कई विधि–सम्मत उपाय हैं वे हैं:

1. पंचायत राज वित्त निगम की पुनः स्थापना की जा सकती है।
2. वर्तमान सभी वित्तीय निगमों से पंचायतों को सीधे जोड़ा जा सकता है।
3. बैंकों की शाखाओं से पंचायतों को जोड़कर विकासोन्मुखी बनाने का प्रयास किया जा सकता है।
4. एन.बी.एफ.सी. जो देहातों में जाकर पूंजी जमा करने का अभियान चलाते रहते हैं उनके द्वारा उस क्षेत्र से उगाहे धन की ब्याज में पंचायतों को धन दिलाया जा सकता है।
5. पंचायतों को अपने अधीन जमीन–जायदादों के अर्थपूर्ण उपयोग करने की छूट दी जा सकती है।
6. भूमि राजस्व के अंश का निर्धारण किया।

3. ग्रामीण विकास योजनाएं

भारत गाँवों का देश है। यहाँ की अधिकांष जनता गाँवों में निवास करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अधिकांश ग्रामीण व्यक्ति न केवल अशिक्षित अपितु निर्धन भी हैं। उनकी आजीविका का एकमात्र साधन कृषि अथवा श्रम है। लेकिन अत्यन्त सुखद है कि गाँवों में कृषि के उत्थान और बेरोजगारी के निवारण हेतु हमारी सरकार ने काफी योजनाएं प्रारम्भ की हैं। हमारे देष में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। लोकतंत्र की जड़ें यहां अत्यंत गहरी हैं। विधान और संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समता तथा सामाजिक न्याय को स्थान दिया गया

है। इसी श्रृंखला में ग्रामीण विकास योजनाएं अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने ऐसी कई योजनाएं तैयार की हैं जिनमें जन–जन का हित समाहित है, जो इस प्रकार हैं–

1. बी0 आर0 जी0 एफ0

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कोष कार्यक्रम (बी0 आर0 जी0 एफ0) का मूल उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार के सभी जिले शामिल हैं। बी0 आर0 जी0 एफ0 कार्यक्रम के दो घटक हैं : (i) अनाबद्ध निधि, (ii) क्षमता निर्माण निधि ।

2. मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम

राज्य के सभी गाँवों एवं टोलों की गलियों एवं नलियों के पक्कीकरण करने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद् द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम को वर्ष 2010 से स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यक्रम के तहत राज्य के ग्राम पंचायतों द्वारा बी0 आर0 जी0 एफ0 की कर्णांकित राशि के अधीन जितनी राशि की योजना गाँव के नालियों एवं गलियों का पक्कीकरण तथा/अथवा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए ली जायेगी, ठीक उतनी ही राशि वैसी ही अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाती है।

3. बिहार ग्राम स्वरोजगार सोसाईटी (विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का का सुदृढ़ीकरण)

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी, प्रभावी रूप से क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से राज्य के छह जिलों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु विश्व बैंक के साथ एकरारनामा कर लिया गया है। इस परियोजना से पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि होगी, पारदर्शिता से कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा आम लोगों की कारगर ढंग से साझेदारी सुनिश्चित करती है। परियोजना में निम्नांकित अवयवों पर कार्य किया जा रहे हैं –

(क) पंचायत सरकार भवन – परियोजना अन्तर्गत पंचायत सरकार भवन के निर्माण का दायित्व भवन निर्माण विभाग को दिया गया है।

(ख) पंचायतों का क्षमतावर्द्धन – पंचायतों का क्षमतावर्द्धन दो तरीको से होता है– (i) संस्थागत क्षमतावर्द्धन – पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत संबंधी मौलिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक पुस्तिका तैयार की जा रही है। पंचायत स्तर पर विकेन्द्रीकरण योजना निर्माण पर प्रशिक्षण मॉडयूल भी सोसाइटी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नियमावली एवं अन्य तकनीकी कार्यों में सोसाईटी द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। (ii) पंचायतों की विकासात्मक क्षमता का सुदृढ़ीकरण – परियोजना अन्तर्गत पंचायतों के विकासात्मक क्षमता का सुदृढ़ीकरण करने हेतु विशुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं पोषण जैसे कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना अन्तर्गत विशुद्ध पेयजल, स्वच्छता एवं पोषण हेतु सहयोगी संस्थान की सेवा प्राप्त करने का प्रावधान है।

4. राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना (RGPSA)

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन के दृष्टिकोण से 'राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान' केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 2013–14 से बिहार राज्य में लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा के सुदृढ़ीकरण, क्षमतावर्द्धन, आधारभूत ढ़ाँचा का विकास, राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिकीकरण आदि का प्रावधान किया गया है।

5. समुदायिक विकास कार्यक्रम, 1952

इस कार्यक्रम के द्वारा छठे दशक के प्रारम्भिक वर्षों में बुनियादी विस्तार व विकास सेवाएं प्रारम्भ की गईं। इस कार्यक्रम से ग्रामीण समुदायों में विकास की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में जागृति उत्पन्न हुई।

6. गहन कृषि जिला कार्यक्रम, 1961

इस कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम की संज्ञा दी गई। इस कार्यक्रम को प्रारम्भ में केवल तीन जिलों में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी जानकारी, ऋण एवं कृषि अनुदानों की पूर्ति का समन्वय करके उत्पादन बढ़ाना था।

7. जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1962

यह कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु शुरू किया गया।

8. गहन कृषि कार्यक्रम, 1964

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विषिष्ट फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया।

9. उन्नत किस्म बीज कार्यक्रम, 1966

कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देष्य से सरकार ने उन्न्त किस्म बीज कार्यक्रम (H.Y.V.P.) प्रारम्भ किया।

10. लघु कृषक विकास अभिकरण, 1969

लघु कृषकों के विकास हेतु इस अभिकरण की स्थापना की गई।

11. सीमान्त कृषकों तथा खेतीहर मजदूरों के विकास हेतु अभिकरण, 1969

यह कार्यक्रम छोटे और सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीनों और कृषि कार्यों में लगे हुए श्रमिकों के विकास हेतु लागू किया गया।

12. ग्रामीण कार्य योजना, 1970

यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विषिष्ट सामुदायिक कार्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया।

13. सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए, 1970

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सूखे से अक्सर प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों की प्राथमिक समस्याओं को नियोजित ढंग से हल करने के लिए लागू किया गया है।

14. न्यूनतम आवष्यकता कार्यक्रम, 1974

इस कार्यक्रम का उद्देष्य सीमित साधनों तथा उनकी आवष्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करना तथा विकास के लिए आधारभूत न्यूनतम आर्थिक ढांचे का निर्माण करना रहा।

15. बीस सूत्री कार्यक्रम, 1975

इस कार्यक्रम को देष के आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरण के ब्लू प्रिंट की संज्ञा दी जा सकती है। यह कार्यक्रम निर्धनता पर सीधा प्रहार करने के उद्देष्य से शुरू किया गया।

16. विषेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, 1975

यह कार्यक्रम गाँव के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए रोजगार जुटाने तथा आय में वृद्धि के अवसर प्रदान करने, पशु उत्पादों जैसे – दूध, ऊन, अंडे इत्यादि में वृद्धि करने के उद्देष्य से प्रारम्भ किया गया।

17. काम के बदले अनाज कार्यक्रम, 1977

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण श्रमिकों को काम के बदले अनाज देने का प्रावधान रखा गया ताकि पोषण की समस्या का समाधान किया जा सके।

18. अन्त्योदय योजना, 1977

यह कार्यक्रम जनता पार्टी की सरकार द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया। इसका उद्देष्य प्रत्येक गाँव के निर्धनतम परिवारों का आर्थिक उत्थान करना था।

19. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1978

भारत सरकार ने 1978 में निर्धनता उन्मूलन के लिए एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया जिसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संज्ञा दी गई।

20. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बाल विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के विकास से सम्बन्धित है जिससे विकासात्मक गतिविधियों में उनकी बेहतर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

21. सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1978

सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देष्य सिंचाई की सृजित क्षमता तथा उसके उपयोग के बीच अन्तर को कम करना है।

22. ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रषिक्षण, 1979

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रषिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना 15 अगस्त, 1979 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण युवकों की बेरोजगारी को दूर करना है।

23. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1980

यह योजना केन्द्र प्रायोजित के रूप में अक्टूबर, 1980 में प्रारम्भ की गई और इसका व्यय केन्द्र और राज्यों द्वारा आधा–आधा वहन किये जाने की व्यवस्था की गई। इसका मुख्य उद्देष्य लाभकारी रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना, स्थायी सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण तथा गाँवों में सबसे गरीब लोगों के भोजन में पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना।

24. बायोगैस योजना, 1981

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की पूर्ति तथा प्रदूषण को रोकने के उद्देष्य से शुरू की गई।

25. षिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना, 1981

यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवकों को बैंकों से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई।

26. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 1983

इस कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य थे :–

(क) ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाना तथा उनका विस्तार करना।

(ख) गाँवों में बुनियादी ढाँचा मजबूत हेतु स्थायी समितियाँ बनाना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास में मदद मिले।

27. निर्बन्ध राषि (अनटाइड फण्ड), योजना 1988–89

इस कार्यक्रम का उद्देष्य जिला स्तर पर स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के विकास में समरूपता प्राप्त करने एवं विकास कार्यों के लिए योजनान्तर्गत निवेश के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से स्थानीय आवश्यकतापरक जनोपयोगी कार्य करवाना है।

28. जवाहर रोजगार योजना, 1989

अप्रैल, 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर रोजगार का एकल कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसे जवाहर रोजगार की संज्ञा दी गई।

29. अपना गाँव अपना काम योजना, 1991

यह योजना गाँव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिस्थितियों का निर्माण, बेरोजगार परिवारों को रोजगार देने तथा स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई।

30. तैंतीस जिला तैंतीस काम योजना, 1991

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध सीमित संसाधनों के त्वरित उपयोग एवं अधिकतम लाभ तथा जिले में विकास की संभावनाओं के अनुकूल एवं उपयुक्त विनियोजन करना है।

31. सीमावती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1993–94

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के दूर–दराज सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ सीमा पार से आतंककारियों के आगमन–तस्करी, विध्वंशकारी गतिविधियों, तोड़–फोड़ आदि का खतरा एवं दैनिक जरूरत की वस्तुओं की कमी हो वहाँ प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना एवं क्षेत्र की आवश्यकतानुसार मूलभूत सुविधाओं का विकास कर इस पिछड़े क्षेत्र का विकास करना है।

32. रोजगार गारंटी योजना

2 अक्टूबर, 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को राहत प्रदान करने हेतु रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया।

33. ग्रामीण महिला बचत कार्यक्रम, 1993

पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने स्वतंत्रता की 46वीं वर्षगांठ (15 अगस्त, 1993) के अवसर पर महिला कल्याण, ग्रामीण योजना तथा साक्षर बेरोजगारों के लिए तीन नयी योजनाओं की घोषणा की। ग्रामीण महिलाओं में आत्मबल तथा स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की योजना बनाई गयी।

34. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1993

यह कार्यक्रम इच्छुक ग्रामीण को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया।

35. साक्षर बेरोजगारों को ऋण कार्यक्रम, 1993

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत थोड़े बहुत पढ़े–लिखे लोगों को छोटे–मोटे काम–धंधे शुरू करने के लिए एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाने की सुविधा दी जायेगी। इसमें सरकार की ओर से 7500 रुपये मदद के रूप में दिये जायेंगे।

36. सांसद क्षेत्र विकास योजना, 1993–94

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लोक सभा व राज्य सभा सदस्य को उनके क्षेत्र में विकास कार्य करने हेतु प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये की राषि प्रदान की जाती है।

37. इनोवेटिव योजनाएं (जवाहर रोजगार योजना प्प्), 1994–95

इस योजना का मुख्य उद्देष्य सीमान्त तथा पिछड़े क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करना है।

38. ग्रामीण विकास केन्द्र/लघु ग्रामीण विकास केन्द्र कार्यक्रम, 1995–96

योजनाबद्ध विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के क्रमोन्यन, आर्थिक विकास की गति में अभिवृद्धि एवं उनके उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु इस योजना का प्रारम्भ किया गया।

39. इन्दिरा आवास योजना, 1995

यह कार्यक्रम लोगों के लिए अच्छे उन्नत किस्म के मकानों की आवष्यकता को महसूस करते हुए ग्रामीण गरीब लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों को एक भाग के रूप में मई, 1985 में इन्दिरा आवास योजना शुरू की गई जो जवाहर योजना की उप–योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही थी। जनवरी 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है।

40. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999

भारत सरकार द्वारा पूर्व में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राईसम, उन्नत टूलकिट, द्धाकरा गंगा कल्याण योजना एवं जीवनधारा योजनाओं को शामिल करके एक वृहद योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से प्रारम्भ की गई। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गरीब चयनित परिवारों की कार्यक्षमता पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करना है।

41. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, 1999

जवाहर रोजगार योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की आवश्यकता के अनुसार आधारभूत सुविधाएं विकसित करना है।

42. विधायक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, 1999

यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता के अनुरूप स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर जनोपयोगी कार्यों का निर्माण करने हेतु वर्ष 1999–2000 में आरम्भ किया गया। प्रत्येक विधायक को 60.00 लाख रुपये के कार्य कराने के लिए अभिशंसित करने के लिए सक्षम हैं।

43. ग्रामीण विकास हेतु "ऋण एवं अनुदान योजना", 1999

राष्ट्रीय आवास एवं पुनर्वास नीति 1998 के अनुसार वर्ष 1999–2000 से ग्रामीण आवास हेतु नवीन योजना आरम्भ की गई जो इन्दिरा आवास योजना की उपयोजना के रूप में क्रियान्वित की जानी है। इस योजना के अन्तर्गत गरीब ग्रामीणों को जितनी वार्षिक आय 32000/–रुपये तक है एवं इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं किये जा सकते हैं, उनको लाभान्वित किया जाना है।

44. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास), 2000

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आवास की कमी को कम करना तथा इन क्षेत्रों में स्वस्थ पर्यावरण विकास में मदद करना है।

45. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 2002

योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करना व खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ स्थायी स्वरूप के सामुदायिक, सामाजिक एवं भौतिक परिस्थितियों का सृजन करना है। यह योजना अप्रैल 2002 से क्रियान्वित की जा रही है जिसमें "जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना व सुनिष्चित रोजगार योजना" समाहित है।

उपसंहार

उपर्युक्त योजनाओं के विवेचन से स्पष्ट होता है कि यह सभी योजनाएं ग्रामीण विकास में सहायक सिद्ध हुई हैं तथा आज राष्ट्रीय विकास योजनाओं का अधिकांष व्यय ग्रामीण विकास पर किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास हेतु अधिकाधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। यह प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का ही परिणाम है कि गाँवों

के लोग जो स्थानीय समस्याओं से अधिक परिचित रहते हैं, वो अपनी समस्याओं का स्वयं निराकरण कर सकें। इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता इन योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है।

संदर्भ सूची :–

1. अवध नारायण दूबे, 'ग्रामीण प्रशासन और राजनीति', निर्मल प्रकाशन, वाराणसी, 1983
2. ए0 डी0 आशीवादम्, 'राजनीति विज्ञान', 12वां हिन्दी संस्करण, एवं मिश्र, कृष्ण कान्त, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0 प्रकाशन, नई दिल्ली 2002
3. के0के0 शर्मा, 'भारत में पंचायती राज', कॉलेज डीपो, जयपुर, 2004
4. सरोज चोपड़ा, ' स्थानीय स्वशासन', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर, द्वितीय संस्करण – 2000
5. बसन्ती लाल बाबेल, 'पंचायती राज और ग्रामीण विकास योजनाएं', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
6. अशोक शर्मा, 'भारत में स्थानीय प्रशासन', आर0 बी0 एस0 ए0 पब्लिशर्स, जयपुर।
7. श्रीराम माहेश्वरी, 'भारत में स्थानीय शासन', लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशक, आगरा–3, 1996